



आठल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (ए.ग.) मुख्य/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा- 20..... HM No. 215696

पैन्न क्रमांक - 107

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही यह जांच ले कि मुख्य पृष्ठ सहित पृष्ठों की कुल संख्या 32 है। यदि कोई पृष्ठ खराब हो या कम हो तो कक्ष निरीक्षक/विभागीक को अवगत कराओ।
2. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये नियमित जगह पर अपना अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक एवं अन्य जानकारीया साझा कीजिए।
3. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के भीतरी भाग को खाली छोड़ देवें एवं नये पृष्ठ से उत्तर लिखना प्राप्त करें। प्राप्तोंक प्रश्न का उत्तर नये पृष्ठ से लिखना प्राप्त करें।
4. मानविकी/रेखाचित्रों/उत्तर का सिविच वर्णन को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए अच्छी गुणवत्ता बाले नीती या काली स्थानी के बाले पेन का ही प्रयोग करें।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ कोई भी नियमित साधारण जैसे संबंधित विषय/प्रश्न पत्र से संबंधित पाठ्यपुस्तिका, नोट्स, कागज, अपने प्रश्नों के किसी भी आंख या तस्ज में लिखकर न लावें।
6. परीक्षा भलन में मोबाइल फोन, हिलिंटन घड़ी/देन, साइरिफिक कैलक्युलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्णत प्रतिवेदित है।
7. उत्तर पुस्तिका में पढ़े गये प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षक के लिए किसी भी प्रकार का अनगत सब्ज/वाक्य अथवा किसी भी प्रकार का पहचान चिह्न/निशान/संकेत अंकित न करें।
8. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक के अन्तराला कुछ भी न लिखें एवं रफ्कार्य न करें।
9. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में विभागीक/केन्द्राध्याय/इन्द्रस्ता दस्त के अधिकारियों के आदेशों/अनुदेशों का पालन करें एवं अनुशासित रहें। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार न करें।
10. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखने में पृष्ठों का गोपन करें। उत्तर लिखने के बाद बोल किसी पृष्ठों को एक लिटील लाइन चिर्चित कर दें।
11. परीक्षा प्राप्त होने के एक घण्टे के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जावेगी। उपयोग में लायी गयी पूरक उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य पृष्ठ में नियमित स्थान पर अंकित रखें।
12. किसी समाप्त होने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका की अनुमति दी जावेगी। उपयोग में लायी गयी कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जावेगी।
13. परीक्षा समाप्त होने से पूर्व वीक्षक परीक्षार्थी द्वारा मुख्य पृष्ठ पर भी जानकारियों जैसे-अनुक्रमांक/नामांकन क्रमांक/विषय/प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का नाम आदि की जांच अवश्य कर लें।
14. प्रश्न पत्र में दूषित/वृद्धियों के संबंध में यदि कोई रिकायायत हो तो अपनी लिखायात परीक्षा करने पर दोबारा परीक्षा अनोन्नित नहीं की जायेगी।
15. यदि कोई दोष 2,3,4,5,6,7,8,11 एवं 12 का पालन नहीं किया जाता है तो वह अनुचित साधन का प्रकरण भाला जायगा।

परीक्षार्थियों को जीतावनी

अनुसारनहीनता का प्रदर्शन करने, निर्देशों का पालन न करने अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप ऐसे परीक्षार्थीयों को दंडनालय परीक्षाओं में सामिल होने से बीत वर्त तक के लिए बंचीत किया जा सकता है। अपारिक परीक्षायों में होने पर भाद्रस के अनुसार कानूनी कारबाही भी की जावेगी।

केन्द्राध्यायक के हिस्तीक्षण-की पुस्त

परीक्षा का नाम..... 3. A-IV.....

अनुक्रमांक (अंकों में)	प्रश्न	प्राप्तांक (अंकों में)	अनुक्रमांक (राशन्त्रों में)	प्रश्न	प्राप्तांक (राशन्त्रों में)
Roll No.			Roll No.		

नामांकन क्रमांक (Enrollment No.):-

विषय:- प्रश्न पत्र का नाम :- दिन :- प्रश्न पत्र का नाम :- प्रश्न पत्र का नाम :-

संलग्न पूरक उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या :- (परीक्षार्थी द्वारा भारा जावें) परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये प्रश्नों की संख्या :- (परीक्षार्थी द्वारा भारा जावें)

मुख्य/पूरक परीक्षा	सेमेस्टर परीक्षा		
प्रश्न	प्राप्तांक	प्रश्न	प्राप्तांक
प्राप्तांक (अंकों में)	क्रमांक (अंकों में)	प्राप्तांक (अंकों में)	क्रमांक (अंकों में)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	8	8	8

परीक्षार्थियों को जीतावनी

परीक्षार्थी के उत्तरपुस्तिका का प्रदर्शन करने अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप ऐसे परीक्षार्थीयों को दंडनालय परीक्षाओं में सामिल होने से बीत वर्त तक के लिए बंचीत किया जा सकता है। परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका का प्रदर्शन करने अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप ऐसे परीक्षार्थीयों को दंडनालय परीक्षाओं में सामिल होने से बीत वर्त तक के लिए बंचीत किया जा सकता है।

योग प्राप्तांक (अंकों में)	योग प्राप्तांक (अंकों में)	योग प्राप्तांक (अंकों में)
प्राप्तांक (राशन्त्रों में)	प्राप्तांक (राशन्त्रों में)	प्राप्तांक (राशन्त्रों में)

परीक्षार्थी को जीतावनी

अनुसारनहीनता का प्रदर्शन करने, निर्देशों का पालन न करने अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप ऐसे परीक्षार्थीयों को दंडनालय परीक्षाओं में सामिल होने से बीत वर्त तक के लिए बंचीत किया जा सकता है।